न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 72/2016 GCMS No.—2016/00101

पवन कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री हरि सिंह गुप्ता जाति महाजन, निवासी ग्राम नायला मैन बाजार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत नायला जरिये तात्कालिक सरपंच महेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. छाजूराम पुत्र श्री धन्नाराम मीणा आयु 55 वर्ष जाति मीणा निवासी झरवालो की ढाणी, ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी बाबत निरस्त किये जाने पट्टा दिनांक 05.03.2004 मिसल संख्या 95 जारी ग्राम पंचायत नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.12.2022

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत नायला, पंचायत समिति जमवारामगढ की मिसल संख्या 95 दिनांक 05.03.2004 के कम में जारी रसीद संख्या 3181 दिनांक 08.03.2009 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.09.2016 को प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– दो की ओर से श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या–1 ग्राम पंचायत नायला की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मिसल तलब की गई। मिसल के बारे में जवाब अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त हुआ जो कि शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्धान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यो अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि ग्राम पंचायत नायला के समक्ष गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 05.03.2004 को प्रस्तुत किया गया जिसके पेटे गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा उक्त पट्टे की नजराना राशि 8,333/– रूपये दिनांक 08.03.2009 जमा करवायी गयी तथा उसके पश्चात ग्राम पंचायत नायला ने गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में एक पट्टा मिसल संख्या 95 दिनांक 05.03.2004 जारी

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

किया गया। जिसके आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता की पट्टेशुदा भूमि व कुऐं की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई तथा सर्वप्रथम जानकारी होने पर ग्राम पंचायत से निगरानीकर्ता द्वारा नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन निगरानीकर्ता को गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई। जिसमें गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त मिसल संख्या 95 रिकॉर्ड में नहीं होने तथा चार्ज में नहीं देने बाबत जवाब प्रस्तुत किया गया। निगरानीकार की पैतृक पट्टेशुदा भूमि सन् 1939 में नायला के जागीरदार से खरीदी थी एवं उक्त भूमि के संबंध में एक वाद पत्र न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 4 जयपुर जिला जयपुर में एक उनवानी वाद हनुमान सहाय बनाम मूली देवी प्रस्तुत किया गया था जिसमें दोनो पक्षो के बीच राजीनामा होने पश्चात उक्त भूमि का बंटवारा कर लिया गया तथा उक्त बंटवारे के आधार पर हनुमान सहाय व मूली देवी निरन्तर काबिज उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत नायला द्वारा जारी किया गया कूटरचित फर्जी दस्तावेजो के आधार पर आपसी मिलीभगत कर मिसल संख्या 17 दिनांक 05.10.2007 जिसका क्षेत्रफल 27.77 वर्गगज बनाया गया उक्त पट्टे की निगरानी बउनवानी हनुमानसहाय बनाम छाजूराम पेश की गयी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर पट्टा खारिज कर दिया गया। गैर निगरानीकार संख्या 2 के पास भी ऐसी कोई पत्रावली संख्या 95 दिनांक 05.03.2004 नहीं है केवल एक फर्जी रसीद जो ग्राम पंचायत नायला द्वारा बताई गयी है। उक्त विवादग्रस्त मिसल से पूर्व ग्राम पंचायत नायला द्वारा निगरानीकर्ता की मां के हक में एक मिसल संख्या 50 दिनांक 08.12.2009 को जारी कर दी गयी थी तथा उक्त मिसल के संबंध में एक सिविल न्यायालय जमवारामगढ के उनवानी प्रकरण मूली देवी बनाम छाजूराम विचाराधीन है जिसमें छाजूराम को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक ने कथन किया कि ग्राम पंचायत नायला द्वारा मिसल संख्या 95 दिनांक 05.03.2004 व रसीद संख्या 3181 के आधार पर पट्टा ही जारी नहीं किया इसलिए निगरानी पेश करने का कोई आधार ही नहीं है। निगरानीकार द्वारा अवैधानिक तरीके से निगरानी पेश की गई है। फर्जी पट्टा तो मूली देवी को जारी किया गया है जिसके विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है, निगरानीकार को परेशान करने के लिए निगरानी पेश की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया एवं मिसल को निगरानी में चुनौती दी गयी है इसलिए निगरानी **WITH COST** खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में निगरानीकार द्वारा जिस मिसल संख्या 95 दिनांक 05.03.2004 व रसीद संख्या 08.03.2009 के विरूद्ध निगरानी पेश की है उसके संबंध में ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत नायला के पत्रांक दिनांक 29.09.2016 अनुसार मिसल संख्या 95 दिनांक 05.03.2004 से संबंधित मूल पत्रावली कार्यालय में अनुपलब्ध है एवं पूर्व सचिव द्वारा भी चार्ज में उक्त मिसल की पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा या किसी भी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर किन्ही भी कार्यवाहियों संबंध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में परीक्षा कर तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। विचाराधीन प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा मिसल संख्या 95 दिनांक 05.03.2004 के विरूद्ध निगरानी पेश की है जिसमें किसी प्रकार का अन्तिम आदेश पारित किया गया हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य उभय पक्षकारान द्वारा पेश नहीं किया गया तथा ग्राम सचिव नायला के जवाब अनुसार मिसल संख्या 95 ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध है इसलिए मिसल की वैधानिकता भी संदिग्ध प्रतीत होती है। विचाराधीन प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत नायला द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध निगरानी पेश नहीं किये जाने से निगरानी का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर